

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2017/ फाल्गुन 30, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 430
No. 118]	DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2017/PHALGUNA 30, 1938	[N.C.T.D. No. 430

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस - I विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मार्च, 2017

सं. फा. 16/1/2016/गृह पु.-I/स्था./6796-6798.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस में समूह "ग", "मल्टी टास्किंग स्टाफ" (सिविलियन) के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (क) इन नियमों को दिल्ली पुलिस में समूह "ग", "मल्टी टास्किंग स्टाफ" (सिविलियन) भर्ती नियमावली, 2017 कहा जाए।
(ख) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान :-** उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, तथा अन्य योग्यता इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** ऐसा कोई भी व्यक्ति —
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. बचाव:— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

दिल्ली पुलिस में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के भर्ती नियम:—

1.	पदनाम	: मल्टी टास्किंग स्टाफ" (सिविलियन)
2.	पदों की संख्या	: 2200 * (2017) *इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	: समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	: पे मैट्रिक्स स्तर-1 (18000-56900/-रुपये)
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	: लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: (1) 18 से 27 वर्ष के बीच शिथिलनीय :- (क) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये तीन वर्ष (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये पांच वर्ष। (ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार। (2) विधवा/तलाकशुदा तथा सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया गया है उनके लिये क्रमशः 35, 38 तथा 40 वर्ष की आयु। (3) सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के दिव्यांगों (40प्रतिशत तथा अधिक) के लिये क्रमशः 35, 38 तथा 40 वर्ष की आयु। टीप:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है। टीप: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करने के मामले में रोजगार कार्यालय द्वारा नामों को जमा करवाने की अन्तिम तिथि निर्धारित आयु सीमा की तिथि होगी।

H/O

7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य योग्यताएँ:- (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण या आईटीआई उत्तीर्ण* *(विनिर्दिष्ट ट्रेड हेतु यथा निर्धारित) वांछनीय योग्यताएँ :- ट्रेड का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान। चिकित्सा मापदंड (क) अच्छी दृष्टि 6/6 बिना चश्मे के खराब दृष्टि 6/36 चश्मे से 6/9 या 6/12 होनी चाहिए, (ख) अभ्यर्थी का अच्छा स्वास्थ्य, रोग से मुक्त, दोष या विरूपता से मुक्त हो। 40 प्रतिशत और अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में जो विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के लिये चयनीत हुए हैं उनकी चिकित्सा जांच पुलिस सर्जन/सिविल सर्जन या दिल्ली पुलिस, आयुक्त द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा इन अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित चिकित्सा मापदंडों के अनुसार की जायेगी।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय पदोन्नति समिति, स्थायीकरण पर विचार करने के लिये 1. उपायुक्त, पुलिस- अध्यक्ष 2. सहायक आयुक्त, पुलिस- सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
प. कृष्ण
पवन कुमार, उप सचिव (गृह पु.1)

HOME-I (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st March, 2017

No. F. 16/1/2016/HP-1/Estt./6796-6798.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules, regulating the method of recruitment to the Group "C" "Multi Tasking Staff" (Civilian) posts in Delhi Police, namely:—

[Handwritten Signature]

1. **Short title and commencement.**—

- (1) These rules may be called the Delhi Police, Group "C" "Multi Tasking Staff" (Civilian) Recruitment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, classification pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person :

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection-post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff (Civilian).	2200* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	Group "C" Non Gazetted, Non Ministerial.	Pay Matrix Level-1 (Rs. 18000-56,900/-).	Not applicable.	(1) Between 18 to 27 years of age. Relaxable by :- (a) Three years for Other Backward Classes. (b) Five years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe. (c) For Ex-Servicemen, as per rules prescribed by the Government of India. (2) 35, 38 and 40 years of age for widow/divorcee and judicially separated women of General, Other Backward Classes, Scheduled Caste & Scheduled Tribe categories respectively, who are not re-married.

H. D. Dany

					<p>(3) 35, 38 and 40 years of age for physically handicapped (40% and above) for General, Other Backward Classes and Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories respectively.</p> <p>Note :- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates, except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.</p> <p>Note :- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
--	--	--	--	--	---

Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educations qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p>Essential Qualifications :- Matriculation or equivalent pass or ITI Pass *</p> <p>Desirable Qualifications :- Good working knowledge of trade.</p> <p>Medical standards</p> <p>(a) Better eye 6/6 without glasses, worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 ;</p> <p>(b) The candidate should be of sound health, free from disease, defect or deformity.</p> <p>In case of persons with 40% and above disabilities, candidates who are selected against vacancies reserved for Person With Disabilities will be medically examined by the police surgeon/ civil surgeon or medical officer appointed by the Commissioner of Police, Delhi to fix the medical standard of these candidates.</p>	Not applicable.	Two years.

H. K. Singh

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/absorption/deputation, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
The composition of Departmental Promotion Committee for considering confirmation will be as under consisting of:- Deputy Commissioner of Police —(Chairman) Two Assistant Commissioners of Police —(Members)	Not applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home-I)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]